

कार्यालय आदर्श नगर पंचायत निचलौल जनपद - महाराजगंज

पत्रांक

/न०प०नि०/2020-21

दिनांक- 27.2.2021

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर में स्थित विभिन्न सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों का वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मासिक किराये पर किये जाने हेतु कार्यालय नगर पंचायत निचलौल पर दिनांक 10-03-2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न बोली/नीलामी की जायेगी, किसी भी बोली/नीलामी को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को बोली/नीलामी नहीं हो पाती है तो शर्तों के अधीन पुनः बोली/नीलामी दिनांक 18-03-2021 को समय 11.00 बजे की जायेगी। शौचालयों के बोली/नीलामी से सम्बन्धित नियमों/शर्तों की जानकारी किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, इस विज्ञापन को वेबसाइट www.Maharajganj.nic.in पर देखा जा सकता है। सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय का विवरण निम्न है।

क्र०सं०	वार्डों में स्थित शौचालय	जमानत धनराशि
1	2	3
1	वार्ड नं०-01, जिगनहवां में धर्मशाला के पास सामुदायिक शौचालय	1000.00
2	वार्ड नं०-01, जिगनहवां में मलीन बस्ती में सामुदायिक शौचालय	1000.00
3	वार्ड नं०-02, बरगदवां में धर्मशाला के पास सामुदायिक शौचालय	1000.00
4	वार्ड नं०-04, मिया मु० में सामुदायिक शौचालय	1000.00
5	वार्ड नं०-04, मिया मु० में टिकुलहियां रोड के पश्चिम स्थित सामुदायिक शौचालय	1000.00
6	वार्ड नं०-05, हरेंडीह में रेशम विभाग के पास सार्वजनिक शौचालय	1000.00
7	वार्ड नं०-06, घोड़हवां में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य	1000.00
8	वार्ड नं०-07, कोट मु० में पेट्रोल पम्प के पीछे सार्वजनिक शौचालय	10000.00
9	वार्ड नं०-10, आजाद नगर में जलकल परिसर के पीछे सामुदायिक शौचालय	1000.00
10	वार्ड नं०-12, कृष्णानगर में बस स्टेशन के पास सार्वजनिक शौचालय	10000.00
11	वार्ड नं०-12, कृष्णानगर में तहसील परिसर में सार्वजनिक शौचालय	1000.00
12	वार्ड नं०-12, कृष्णानगर में गोरखपुर टैक्सी स्टैण्ड के पास पिक शौचालय । (केवल महिलाओं के लिए)	10000.00

नियम व शर्तें

1. सार्वजनिक/सुलभ शौचालय की बोली/नीलामी हेतु किसानों वित्तीय वर्ष से 2020-21 में निर्धारित दर (लक्ष्य) से 10% से अधिक होना अनिवार्य है।
2. स्वीकृत मासिक किराया की धनराशि नगर पंचायत निचलील कार्यालय में जमा करना होगा।
3. ठेकेदार को नगर पंचायत निचलील द्वारा निर्धारित दर से ही वसूली करना होगा।
4. शौचालय को साफ-सुथरा रखना होगा।
5. अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन करना होगा।
6. यदि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जांच सही पाये जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
7. किसी भी नियमों में संशोधन/शुद्ध करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
8. स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के गाइडलाइन में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा।

अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत निचलील
महाराजगंज

अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलील
महाराजगंज

पत्रांक 653(3) / न0प0नि0 / 2020-21 / तददिनांकित
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महाराजगंज
2. प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय- महाराजगंज।
3. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. महाराजगंज को इस आशय से प्रेषित कि इस विज्ञापन को वेबसाइट www.Maharajganj.nic.in पर डालने की कृपा करें।
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत निचलील
महाराजगंज

अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलील
महाराजगंज